उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-04 /2020/97जे0/22-5-20-1200(59)/2017

लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2020

वारण्ट

जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेश चौहान उर्फ सिपाही पुत्र छेदीलाल को मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, वाराणसी में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

संख्या-04/2020/97जे0/22-5-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-928/सामा-1(1)/मानसिकबंदी/08/2019-20, दिनांक 09-01-2020 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। (संलग्नक यथोक्त)
2. जिलाधिकारी, वाराणसी ।
3. पुलिस अधीक्षक वाराणसी ।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी ।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in